

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 18, 1982/आश्विन 26, 1904
No. 477] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 1982/ASHVINA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 अक्तूबर, 1982

का० आ० 750(अ) --कन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 9 और न्यूनतम मजदूरी (कन्द्रीय सरकार ग्राह) नियम, 1949 के नियम 3 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 8 द्वारा पदों पर शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के पूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 619 (अ) तारीख

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

13 अप्रैल, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करता है और जिसमें संख्या का० आ० 289(ड) तारीख 30 अप्रैल, 1982 द्वारा संशोधन किया गया था, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में सम्बन्धित सदस्यों से सम्बन्धित मद (1) में, क्रम संख्या 1 और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

- | | |
|--|---------|
| 1 श्रीमती मोहसिना किदवाई | अध्यक्ष |
| केन्द्रीय श्रम और पुनर्वासि राज्य मंत्री | |
| नई दिल्ली। | |

[स० एम०-- 32013/1/82-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू)]

एम० एल० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1982

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) read with section 9 of the said Act, and rule 3 of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 1949, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 649(E), dated the 13th August, 1981 and modified vide S.O. No. 289(E), dated the 30th April, 1982, namely:—

In the said notification in item (1) relating to independent members, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

- | | |
|--|----------|
| 1 Shrimati Mohsina Kidwai | Chairman |
| Union Minister of State for Labour and Rehabilitation, | |
| New Delhi | |

[S-32023/1/82-WC(MW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.